कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।

ACCRS संख्या 344 /अधि0/स0सु0/2020

लखनऊ: दिनांक 19 जून, 2020

18/6/2020

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988(अधिनियम संख्या 50,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानो/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उप धारा (1)के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीण निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988(अधिनियम संख्या –59,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौतमबुद्धनगर जनपद होकर निकलने /चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा में आने वाले अन्य क्षेत्रों में मार्ग या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र०	मार्ग का नाम एवं रोड आई0डी0 नम्बर	स्थान "कहां से कहां तक" जहां गति निबंधित रहेगी (जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा तक)	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अनधिक यात्रियों के वहन के लिए किया जाता है (एम 1 प्रवर्ग यान)	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ या अधिक सीटों के यात्रियों के वहन किया जाता है (एम 2 और एम3 प्रवर्ग यान)	ऐसे मोटर यान, जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	मोटरसाइकिल	तिपहिया यान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हामिदपुर –जेवर–ककोड़ गौतमबुद्धनगर मार्ग 100071	हामिदपुर से हामिदपुर से ककोड़ तक	70 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
2	खुर्जा– –जेवरमाग– जहांगीरपुर 100072	खुर्जा से–जहांगीरपुर तक	70 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
3	झाझर–रबुपुरा–मेहदीपुर, भोले का मन्दिर–मेहन्दीपुर खादर मार्ग 100073	झाझर–रबुपुरासे मेहन्दीपुर खादर तक	70 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
4	सिकन्द्राबाद–दनकौर –चीती मार्ग 100075	सिकन्द्राबाद से दनकौर–चीती तक	70 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
5	कासना खेरली हाफिजपुर चचूरा मार्ग 100076	कासना से हाफिजपुर चचूरा तक	70 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	60कि0मी0 प्रतिघण्टा	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
6	दनकौर–झाझर–जहांगीरपुर मार्ग 100077	दनकौर से जहांगीरपुर तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
7	दनकौर –रबुपुरा–जेवर मार्ग	दनकौर से –जेवर	60 कि0मी0	50 कि0मी0	50कि0मी0	50 कि0मी0	40 कि0मी0

	100078	तक	प्रतिघण्टा	प्रतिघण्टा	प्रतिघण्टा	प्रतिघण्टा	प्रतिघण्टा
8	दादरी–जारचा–कलौन्दा गैसूपुर 100125	दादरी–से कलौन्दा गैसूपुर तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
9	छपरौला–दुजाना–आकिलपुर प्यावली–एन0टी0पी0सी0 तक मार्ग 100126	छपरौला–से एन0टी0पी0सी0 तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
10	दुजाना –सादुल्लापुर –खेड़ी –दादरी बाईपास मार्ग 100127	दुजाना –सादुल्लापुर से –दादरी बाईपास तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
11	जी0टी0 रोड से जारचा वाया छोलस कलौंदा मार्ग 100335	जी0टी0 रोड से छोलस कलौंदा तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
12	दादरी– विसाहड़ा –प्यावली –रसूलपुर मार्ग 100346	छादरी से –रसूलपुर तक	60 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	50कि0मी0 प्रतिघण्टा	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
13	जहांगीरपुर से म्याना होते हुए रबुपुरा तक मार्ग	जहांगीरपुर से रबुपुरा तक	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
14	दनकौर –मकनपुर मार्ग 100130	दनकौर से मकनपुर तक	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
15	जारचा से उंचा अमीरपुर "एनटीपीसी" वाया खंगोड़ा मार्ग 100414	जारचा से खंगोड़ा तक	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा
16	सूरजपुर –घंघोला से रघुपुरा वाया कनारसी–रूस्तमपुर तक 100415	सूरजपुर से कनारसी–रूस्तमपुर तक	50 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा	40 कि0मी0 प्रतिघण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

1–मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनों छोर–प्ररम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टैप का प्रयोग किया जायेगा।

2–उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ–अग्नि शमन वाहन।

ब–एम्बुलेंस।

स–पुलिस वाहन।

द–कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य–प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

3–उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गों के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक –06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(ए0के0 पाण्डेय)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।

सं0 स0सुर/20202 समदिनांकित–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2–पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर।

3–अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात)यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

4–जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।

5–सी0ई0ओ0, यमुना एक्सप्रेस वे अथारिटी जनपद गौतमबुद्धनगर।

निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6–अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड, लोकनिर्माण विभाग, गौतमबुद्धनगर।

7–राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जनपद गौतमबुद्धनगर।

(ए0के0 पाण्डेय)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गौतमबुद्धनगर।